



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छ०ग०/कांकेर/लौ०अ०- 30 छ०ग० 08009

दिनांक :- 17/03/2021

प्रति,

श्री अतुल कुमार जैन, निदेशक,
सर्वश्री पुष्प स्टील्स एवं माईनिंग (प्रा०) लिमिटेड,
751, भू-तल, कुन्देवालन स्ट्रीट, अजमेरी गेट,
दिल्ली - 110 006
ईमेल:- pushpsteels@gmail.com, pushpsteels.gm@gmail.com,
pushpsteels.mines@gmail.com

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपकी हाहालद्दी लौह अयस्क खदान क्षेत्रफल 66.00 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24/02/2021 को श्री ए० के० मिश्रा, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
नियम संख्या 11 (1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Mining Plan vide letter no. KNK/FE/MPLN-944/NGP Nagpur dated 13/10/2006 for the period of F.Y. 2016-17 to 2020-21: Exploration: During F.Y. 2016-17 to 2020-21; it was proposed to drill 25 nos. of boreholes up to the cumulative depth of 700 meters; whereas, 10 nos. of boreholes with the cumulative depth of 185.70 meters have been drilled so far. Stacking of Screen Reject: 72740.00 Metric Tonnes of Screen Reject has been stacked in between UTM co-ordinates: (1) N2241380 to N2241560 and E489090 to E489160 (2) N2241900 to N2241985 and E489100 to E489160 Without any approved proposal.
नियम संख्या 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the financial year 2017-18 to 2019-20.
नियम संख्या 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the financial year 2017-18 to 2019-20.
नियम संख्या 45 (7)	Annual return for F.Y. 2019-20: Part – V; General Geology & Mining (Sec 1/2 for Iron Ore): Sec 5/6/8/9: Incomplete details of the Mining Machineries have been given. Such as details of the tipper, drilling machine etc. are not mentioned in the list. Part – VI; (Production, Dispatches and Stock) and Part – VII; Cost of Production: Cost of Production and the Ex-Mine Price of the graded ore are not matching. Moreover, Ex-Mine Price of the mineral/ore should not be less than the Cost of Production of mineral/ore.
नियम संख्या 46	Notice of Certain Appointment: Appointment notice of Nominated Owner has not been sent to the authorized officer within fifteen days from the date of such appointments.
नियम संख्या 55	Full-time Mining Engineer and a Geologist are not been appointed.

कृ०प०प०...2...

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम संख्या 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत :-
(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492002

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर